इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2017—श्रावण 3, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2017

क्र. 18399-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 25 जुलाई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.
३. धारा १३ का संशोधन.
४. धारा १४ का संशोधन.
५. धारा १५ का संशोधन.
६. धारा १६ का संशोधन.
७. धारा २५ का संशोधन.
८. धारा २७ का संशोधन.
९. धारा ३० का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१७

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द "अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" के स्थान पर, शब्द "अपील न्यायालय, अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र, अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा:" स्थापित किए जाएं.

धारा १४ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १४, में, शब्द "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी, फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." के स्थान पर, "एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है, जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती." स्थापित किए जाएं.

धारा १५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १५ में, शब्द "आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा", के स्थान पर, शब्द "आवेदक न्यायालय से प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा, वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिये गये किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन संदेय होती" स्थापित किए जाएं.

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ में, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा", के स्थान पर, शब्द "वादी, न्यायालय से प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उसे ऐसे वाद के संबंध में, संदत्त फीस की पूरी रकम, कलक्टर से या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा" स्थापित किए जाएं.

धारा २५ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २५ में, शब्द "स्टाम्पों" के स्थान पर, शब्द "स्टाम्पों या ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण" स्थापित किए जाएं.

धारा २७ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २७ में, खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किए गए खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा न्यायालय फीस के भुगतान और उसके प्रतिदाय की रीति;".

धारा ३० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ३० में, द्वितीय पैराग्राफ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु जहां न्यायालय फीस, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदत्त की जाती है तो स्टाम्प निरस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी, भुगतान की वास्तविकता को सत्यापित करेगा और न्यायालय फीस के संदाय से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, कम्प्यूटर में प्रविष्टि को दर्ज करेगा तथा दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक पृष्ठांकन करेगा कि न्यायालय फीस संदत्त हो गई है तथा प्रविष्टि दर्ज की गई है.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में समस्त न्यायालय फीस का संदाय छापित तथा आसंजक स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है. कई बार न्यायालय फीस स्टाम्प की कमी हो जाती है और अधिवक्ता/पक्षकार को न्यायालय फीस स्टाम्प प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है. इसका समाधान इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करके नियमों द्वारा यथा उपबंधित रीति के अनुसार ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से न्यायालय फीस का भुगतान करके किया जाना है. यह सुविधा, विद्यमान न्यायालय फीस स्टाम्प के माध्यम से न्यायालय फीस का भुगतान करने के साथ होगी. साथ ही न्यायालय फीस के प्रतिदाय को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि फीस का प्रतिदाय इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किया जाए. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) में मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में समुचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २१ जुलाई, २०१७

रामपाल सिंह
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संधोधन) विधेयक, २०१७ के जिन खंडों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

१. खंड-३—अपील के ज्ञापन पर संदत्त न्यायालय फीस को विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस किए जाने,

२. खंड-४—निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की संदत्त न्यायालय फीस को विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापस किए जाने,

३. खंड-५—जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां न्यायालय फीस को विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा वापिस किए जाने,

४. खंड-६—न्यायालय फीस का प्रतिदाय विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किए जाने,

५. खंड-७—न्यायालय फीस का भुगतान विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किए जाने, तथा

६. खंड-८—इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा न्यायालय फीस के भुगतान और प्रतिदाय की रीति विहित किए जाने के संबंध में,

राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.